न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/31/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/173

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्रीमती सुधा तायल पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार तायल, कनिष्ठ सहायक, नगर विकास न्यास, अलवर नि. 7बी, फ्रैण्डस कॉलोनी, अलवर		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 30.05.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 10.02.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर वर्ष 2013 से की गई पदोन्नति संवंधी समस्त कार्यवाही संबंधी पत्रावली मय नोटसीट सम्पूर्ण सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 24.03.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। जवाब अप्राप्त रहने पर स्मरण–पत्र जारी कर जवाब भिजवाने हेतु लिखा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
7. अतः **उक्त आलोक में अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 10.02.2022 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में **नियमानुसार** अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये **निःशुल्क ही** अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी द्वारा जरिये रसीद सं० 5 दिनांकः 18.02.2022 नगर विकास न्यास, अलवर कार्यालय में फोटोप्रति शुल्क के रूप में जमा राजकोष कराई राशि रू. 1190/– (रूपये एक हजार एक सौ नब्बे मात्र) नियमानुसार अपीलार्थी को रिफण्ड की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
9. न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाव समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 30.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)